राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

त्रैमासिक पत्रिका

A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

वर्ष-3 अंक : आठ वर्ष : 2008 वि.सं. : 2064 बिक्री के लिये नहीं

''अधिकारों के प्रति जागरूक रहो–कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो''

अध्यक्ष–जस्टिस एन.के. जैन

मानवाधिकारों के हनन को रोकने बाबत् कुछ महत्वपूर्ण आदेश/निर्देश

(माह जनवरी 2008 से मार्च 2008 तक)

1– *परिवाद संख्या– 07/17/3366* : पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गये ि कवे सार्वजनिक नलकूप से पानी की नियमत सप्लाई का भविष्य में ध्यान रखेंगे ताकि आम लोगों को परेशानी न हो।

2– *परिवाद संख्या– 06/17/563*: जयपुर नगर निगम (विवाह स्थल) उपविधियां 2005 व माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में विवाह स्थलों को ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

3– *परिवाद संख्या– 07/17/2043* : जयपुर विकास प्राधिकरण को सुविधा क्षेत्र में प्लॉट आबंटित करने और परिवादिया के प्लॉट को खिसकाने के बारे में वस्तुस्थिति जानकर स्वयं के स्तर पर परिवाद का निस्तारण करने हेतु लिखा गया।

4– *परिवाद संख्या– 07/17/2713* : *Due process of law* से जमीन का कब्जा लेने और पक्षकारों को *According to law* बर्ताव करने के निर्देश दिए गये। साथ ही एस.एच.ओ. ज्योति नगर को निर्देश दिए गये कि मौके पर कोई अप्रिय घटना न होने के मद्देनजर व जरूरत पडने पर माकूल इन्तजाम करावें।

5– *परिवाद संख्या– 07/17/2152* : परिवादिया द्वारा दर्ज करवाये गये मुकदमें से बचने के लिए विपक्षीगण ने जो मुकदमा दर्ज कराया गया, इस बात को सम्बन्धित न्यायालय के ध्यान में लाने की स्वतंत्रता परिवादिया को दी गई। इसके अलावा सम्बन्धित पुलिस थाना को भी वारंट की तस्दीक करवा कर ही तामील कराने के निर्देश दिए गये। न्यायहित में, इस निर्णय को उडीसा राज्य मानव अधिकार आयोग, जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर व सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को भी सूचनार्थ भेजी गई।

6– *परिवाद संख्या– 07/17/1274* : जेल प्रशासन से अपेक्षा की गई कि वे बंदियों को उचित मेडिकल व अन्य सुविधाऐं नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए और अधिक जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता से काम करें।

7– *परिवाद संख्या– 07/17/2888* : दलित महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ हुए अत्याचारो के मामले में पुलिस अधीक्षक, जोधपुर/ झालावाड/ हनुमानगढ/ सीकर/ टोंक/ झुन्झुनु/ जयपुर/ अजमेर/ चुरू से वस्तुस्थिति मालूम कर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षकगण को लम्बित मामलों में निष्पक्ष एवं त्वरित अनुसंधान करते हुए सक्षम न्यायालय में नतीजा पेश करने के निर्देश दिए गये। इसके अलावा परिवादी को भी सक्षम न्यायालय में अपने तमाम उज्र एवं कानूनी कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी गई।

8– *परिवाद संख्या– 07/17/2439* : जेल प्रशासन से अपेक्षा की गई कि वे जेल परिसर में बंदियों के बारे में कानून के अनुसार व्यवस्था कराना सुनिश्चित करायें। जिस से इस प्रकार की शिकायतों का मौका नहीं मिले।

9– *परिवाद संख्या– 06/17/2060* : जयपुर नगर निगम व सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अपेक्षा की गई कि यदि भविष्य में बन्द ईकाई शुरू होने पर कोई प्रदूषण होता है, तो वे विधिनुसार कार्यवाही अमल में लाये।

10– *परिवाद संख्या–07/17/2260* : सोर्स के अभाव में सवाई मानसिंह अस्पताल में एक मशीन के संचालित नहीं रहने की स्थिति में कैंसर पीडितो के ईलाज व असुविधा के मद्देनजर अधीक्षक, एस.एम.एस. अस्पताल से यह जानकारी चाही कि इन परिस्थितियों में कैंसर पीडितों के ईलाज की क्या व्यवस्था है ? और क्या ऐसे मरीजों को भगवान महावीर कैंसर अस्पताल, जयपुर में ईलाज के लिए रैफर किया जा सकता है? साथ ही, चैयरपर्सन, भगवान महावीर कैंसर अस्पताल से भी पूछा गया कि यदि एस.एम.एस. चिकित्सालय

से ऐसे मरीजों को रैफर किया जाता है, तो क्या उन्हें मुफ्त/रियायती दरों पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सकती है?

11– *परिवाद संख्या–07/17/3762* : में गरीब व मजदूर पेशा व्यक्तियों द्वारा फुटपाथ व ओवरब्रिज के नीचे रात गुजारने के तथ्यों को देखते हुए व उनके सम्मानपूर्वक जीने के अधिकारों के हनन को देखते हुए आयुक्त जयपुर नगर निगम से पूछा गया कि वी.के.आई. सीकर रोड जैसे व शहर के अन्य स्थानों पर रैन बसेरा की जरूरत है क्या ? इसके अलावा प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को भी लिखा गया कि राज्य के अन्य जिलों मे भी रैन बसेरा की वस्तुस्थिति के बारे में आयोग को अवगत करावें। आयोग उप सचिव को भी आदेश दिये गये कि वे बांगड स्थाई रैन बसेरा व बजरी मंडी सीकर रोड स्थित अस्थाई रैन बसेरा की व्यवस्थाओं का मुआयना कर आयोग को अवगत करावें।

12– *परिवाद संख्या– 05/17/3038 व परिवाद संख्या– 05/01/3234* : तीन दिन तक लाश का पोस्टमार्टम नहीं करने के सम्बन्ध में खण्डपीठ के आदेश दिनांक 3 दिसम्बर 2007 के की पालना में सम्बन्धित थानाधिकारी– थाना चाकसू श्री सवाई सिंह, उ.नि. के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर आयोग को अवगत कराया गया।

13– *परिवाद संख्या– 06/26/1152* : परिवादी के पुत्र नरेन्द्र कुमार का सही ईलाज नहीं करने, रिश्वत लेने व डाक्टर की लापरवाही से दिनांक 9.12.2006 को मृत्यु हो जाने के मामले में दोषी डा0 टीकम चन्द का निलम्बन कर आयोग को सूचित किया गया। परिवादी को क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर से अपेक्षा की गई कि वे मृतक नरेन्द्र कुमार की मृत्यु पर परिवादी को हुई आर्थिक हानि के सम्बन्ध में उचित मुआवजे की नियमानुसार कार्यवाही कर आयोग को सूचित करेंगे।

14– *परिवाद संख्या–08/17/289* : सवाईमानसिंह अस्पताल में कार्यरत महिला डाक्टर्स को प्रसूति अवकाश मय वेतन नहीं दिए जाने और अवकाश के बदले में आगे कार्य करवाने के मामले में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) राज0 जयपुर से मामले की वस्तुस्थिति के बारे में पूछा गया।

15– *परिवाद संख्या–08/17/71* : प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा व मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की जवाबदेही मानते हुए राज्य सरकार से अपेक्षा की गई कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु कारगार कदम उठाये। इसके अलावा फोर्टीज जैसे अस्तपाल जिनको राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर जमीन भी उपलब्ध कराई जाती है व जो *International Standards* पर ईलाज का दावा करता है, वहां ईलाज में पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण की और अधिक अपेक्षा की गई।

16– *परिवाद संख्या 07/17/3755* : परिवादी की गुमशुदा पत्नी व बच्चों की रिपोर्ट थानाधिकारी द्वारा दर्ज नहीं करने और कार्यवाही नहीं करने के बारे में सम्बन्धित थानाधिकारी श्री सवाई सिंह, उ.नि. के विरूद्व विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर आयोग को अवगत कराया गया। साथ ही, पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गये कि वे गुमशुदा औरत व बच्चों की शीघ्रता से तलाश करवा कर आयोग को सूचित करें।

17– *परिवाद संख्या– 7/18/2507* : में आयोग के निर्देशानुसार रा.प्रा.विद्यालय, जैसलमेर में पानी की समस्या के समाधान हेतु टंके को उटं गाडी से भरवाया गया तथा पाईपलाईन योजना का सर्वे करवाया गया।

18– *परिवाद संख्या– 7/23/3490* : में आयोग के निर्देशानुसार श्री रामलाल जांगिड, भीलवाडा को सर्विस बुक की डुप्लीकेट प्रति उपलब्ध करवा कर दी गई।

19– *परिवाद संख्या– 6/26/193* : में आयोग के निर्देशानुसार परिवादी डा. एम.एल. आछा को हितकारी निधि, अनुकम्पा नियुक्ति , बकाया चिकित्सा दावा, ग्रुप बीमा का भुगतान किया गया।

20– *परिवाद संख्या– 05/08/847 व 4/08/2260* : में आयोग के निर्देशानुसार नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा अतिशीघ्र 67 गाडिया लुहारों को आवास गृह आबंटित करने हेतु कानून सम्मत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

21– *परिवाद संख्या– 7/30/2942 व 7/30/3354* : में आयोग के निर्देशानुसार श्रीमती सुन्दरी देवी, जिला प्रतापगढ को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 10000/–की सहायता जिला कलेक्टर से माध्यम से दिलवाये जाने के आदेश दिए गये।

22– परिवाद संख्या– 07/29/2240 में आयोग के निर्देशों की अनुपालना में नसबन्दी के बाद बच्चा पैदा होने की स्थिति में अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर द्वारा परिवादिया राधादेवी को 25000/– रुपये भुगतान बतौर क्षतिपर्ति कर आयोग को सूचित किया गया।

23– परिवाद संख्या– 06/29/2410 में परिवादी कान्हाराम, नेत्रविहीन विकलांग की पेंशन बंद हो जाने के मामले में आयोग के निर्देशानुसार परिवादी को बकाया पेंशन का भुगतान कर आगे भी पेंशन जारी रखे जाने के बारे में आयोगे को सूचित किया गया।

विभिन्न शैक्षेणिक संस्थाओं/एन.जी.ओ. द्वारा आयोजित मानव अधिकारों की जागरूकता के विभिन्न कार्यकमों में आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा शिरकत की गई, जिनमें से कुछ निम्नांकित है :–

1– दिनांक 4 जनवरी 2008 को अनुराग संगीत संस्थान, जयपुर द्वारा आयोजित 17 वीं अखिल भारतीय दृष्टिहीन संगीत प्रतियोगिता में माननीय शिक्षामंत्री श्री कालीचरण सर्राफ, आयुक्त निःशक्तजन श्री खिल्लीमल जैन व कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की निदेशका श्रीमती सुषमा सिंघवी के साथ भाग लिया।

2– दिनांक 6 जनवरी 2008 को विमुक्ति गर्ल्स स्कूल, जयपुर जो कच्ची बस्ती के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु कार्यरत है, के चौथे वार्षिक उत्सव में संस्थान के चेयरमैन श्री अरूण कुमार, (सेवानिवृत्त मुख्य सचिव), सचिव मैडम लवलीना सोगानी व कॉडिनेटर मैडम भारती शर्मा व बच्चों के माता–पिता उपस्थित थे।

3– दिनांक 6 जनवरी 2008 को राजस्थान पत्रिका एव माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार वि.वि. भोपाल द्वारा आयोजित *पं. झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान एवं पुरस्कार समारोह* में तहलका डाट कॉम के एडिटर–इन–चीफ श्री तरूण तेजपाल, राजस्थान पत्रिका के सम्पादक श्री गुलाब कोठारी व माखन लाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री अच्युतानन्द मिश्र व गणमान्य बुद्धिजीवी व पत्रकारजन उपस्थित थे।

4– दिनांक 11 जनवरी 2008 को को एकजुट संस्था एवं पीपुल्स ट्रस्ट, जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में *'सडक मित्र 'सडक सुरक्षा सेमिनार'* में बहैसियत मुख्य अतिथि माननीय परिवहन मंत्री श्री युनुस खान, परिवहन विभाग के कमिश्नर श्री जगदीश चन्द्र, संयोजक ईशमधु तलवार व सह संयोजक मैडम प्रेरणा एन. अरोडा के साथ भाग लिया। जिसमें उपस्थित जन समूह को ट्रेफिक की समस्याओं व उनके निराकरण के बारे में बताया गया।

5– दिनांक 20 जनवरी 2008 को जयपुर पेंशनर्स हितकारी सहकारी समिति लि. के वार्षिक अधिवेशन में समिति के अध्यक्ष श्री रामचरण जैन, श्री के.के. जैन (पूर्व विधायक) व कई वरिष्ठजनों के साथ पेंशन सम्बन्धी मामलों व मानव अधिकार विषयों पर चर्चा की।

6– दिनांक 2 व 3 फरवरी 2008 को महावीर समता संदेश, उदयपुर द्वारा आठवें राष्ट्रीय समता लेखक सम्मेलन में *'वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकार एवं लोकतंत्र'* विषय पर आयोजत कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जिसमें श्री राजेन्द्र यादव– यशस्वी सम्पादक 'हंस' दिल्ली, श्री कमला प्रसाद– राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील लेखक संघ भोपाल, डा. रामशरण जोशी– उपाध्यक्ष केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा, महावीर समता संदेश के प्रधान सम्पादक व सम्पादक क्रमशः श्री हिम्मत सेठ व डा. हेमेन्द्र चण्डालिया के साथ मानवाधिकार विषयों पर चर्चा की।

7– दिनांक 9 फरवरी 2008 को जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, राजस्थान कैंसर सोसायटी, 'कोशिश' व एस.एम.एस. अस्पताल के ओंकोलॉजी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित *'विश्व कैंसर मुक्ति दिवस समारोह'*, जिसमें जस्टिस नरेन्द्र मोहन कासलीवाल (सेवानिवृत्त न्यायाधिपति–सर्वोच्च न्यायालय), हिन्दुस्तान टाईम्स के श्री के.एस. तोमर, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डा. अशोक पनगडिया, राजस्थान कैंसर सोसायटी के अध्यक्ष मेजर जनरल एस.एन. श्रीवास्तव, एस..एम.एस. अस्पताल के अधीक्षक डा. नरपत सिह शेखावत, जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी के अध्यक्ष श्री सुधीन्द्र गेमावत, रेडियोथेरेपी विभाग के विभागाध्यक्ष डा. डी.पी.अग्रवाल, डा. अरूण चौगुले संयुक्त सचिव जयपुर कैंसर रिलीफ सोसायटी, व श्रीमती शशि कपूर अध्यक्ष एम.ए.आई. जयपुर चैप्टर व केंसर से निजात पाये रोगी भी उपस्थित थे, के साथ चर्चा की।

8– दिनांक 10 फरवरी 2008 को जैन सोशल ग्रुप केपिटल,जयपुर के शपथ ग्रहण समारोह व सांस्कृतिक संध्या में ग्रुप के अध्यक्ष श्री राजेश गंगवाल, सचिव श्री राकेश गोदिका, *Imm. P. President* श्री सुधीर जैन, *Founder President* श्री सुभाष चन्द जैन सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मानव अधिकार विषयों पर चर्चा की।

9– दिनांक 15 फरवरी 2008 को ***CUTS** Centre for Consumer Action, Research & Training Combating Corruption in Rajathan, by applying RTI Act as a tool* विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। जिसमें सेन्टर की एडवाईजरी बोर्ड के चेयरपर्सन डा0शारदा जैन, सचिव एम.के. खन्ना, पद्मभूषण वी.एस. व्यास, अर्थशास्त्री श्री सी.एस. बरला, श्री आई.सी. श्रीवास्तव, माया टण्डन, कुमकुम श्रीवास्तव के साथ मानवाधिकार विषयों पर भी चर्चा की।

10– दिनांक 17.2.2008 को ***University Law College** Model Moot Court* में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस आर.एस. राठौड, प्रोफेसर करकरा, प्रो0 लाल, प्रोफेसर शास्त्री व विद्यार्थीगण तथा अन्य गणमान्य लोगों के साथ भाग लिया।

11– दिनांक 20.2.2008 को सेठ मोती लाल लॉ कॉलेज, झुन्झुनु में मानव अधिकार विषय पर आयोजित सेमिनार में बहैसियत मुख्य अतिथि, कॉलेज के छात्र–छात्राओं, डायरेक्टर श्री जी.एल.शर्मा, व प्रिंसिपल डा. अब्दुल हमीद उपाचार्य के साथ में भाग लिया।

12– दिनांक 1 व 2 मार्च 2008 को ***Department of Law University of Rajasthan, Jaipur Two days workshop on Legal Research Methodology*** के उद्घाटन समारोह में लॉ कॉलेज के छात्र–छात्राओं के अलावा प्रो. एस.एस.लाल, प्रो. यू.सी. सांखला, प्रो. नोमिता अग्रवाल, प्रो. जे.के.मलिक, प्रो. एस.सी. शास्त्री, प्रो. के.एल. शर्मा, प्रो. आर.के. नायर, प्रो. एन.एच.गुप्ता आदि के साथ *"Formulation of Research Problem, Research Design, Research problems, Collection of Data, Preperation of Project report"* भाग लिया।

13– दिनांक 2 मार्च 2008 को राजस्थान जन मंच द्वारा आयोजित समाज रत्न सम्मान समारोह–2007 में सर्वश्री हरिशंकर भाभड़ा, उपाध्यक्ष आर्थिक नीति एवं सुधार परिषद् और पूर्व मुख्य मंत्री, संस्था के अध्यक्ष पाटनी साहब, महासचिव, कमल लोचन व अन्य बुद्धिजीवियों व पुस्कृत महानुभाव व गणमान्य बन्दुओं से मानवाधिकार विषयों पर चर्चा की।

14– दिनांक 29 मार्च 2008 को 'प्रयास' द्वारा आयोजित सेमीनार में राज्य के 26 एन.जी.ओ./एल.एल.ओ. ने कार्यक्रम मे भाग लेकर प्रयास संस्था की *Executive Officer* मैडम जतिन्दर अरोडा व अन्य एन.जी.ओ. प्रतिनिधियों के साथ *Disabled & Mentally Retired Children* तथा मानवाधिकारों के बारे में चर्चा की।

15– दिनांक 30 मार्च 2008 को भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर द्वारा *Cancer Prevention & Awareness* के लिए आयोजित प्रदर्शनी एवं सेमिनार में डा. डी.सी. जैन *Addl. Director General, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India*, श्री विमल सुराणा, मैडम अनिला कोठारी, डा0 (कर्नल) आर.के. चतुर्वेदी डॉ. सेठी, विवेक काला अन्य ट्रस्टीगण, गणमान्य व्यक्तियों व मरीजों के साथ भाग लिया।

16– दिनांक 31 मार्च 2008 को डा0 अम्बेडकर स्टेडिज सेन्टर (लॉ कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी) द्वारा आयोजित *Works and Teaching of Bharat Ratna Dr. Ambedkar* दो दिवसीय सेमिनार में अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा. मोहम्मद सबीर, श्री के.के. शर्मा, प्रो0 शास्त्री, प्रो0 करकरा व प्रो0 लाल प्रतिभा जैन, हर्डिया साहब, पी.एल. भीमरोठ, एन.जी.ओ., बुद्धिजीवी, टीचिंग फेकल्टी व छात्रों के साथ भाग लिया।

आयोग द्वारा करवाये गये निरीक्षण :–

आयोग के आदेश दिनांक 13 फरवरी 2008 की पालना में आयोग के उप सचिव श्री आर.के.मीणा ने दिनांक 22 फरवरी को स्थाई रैन बसेरा व बजरी मण्डी, सीकर रोड स्थित अस्थाई रैन बसेरा की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जिसमें पाई गई अव्यवस्थाओं के बारे में आयुक्त नगर निगम को उचित कार्यवाही करने निर्देश आयोग द्वारा दिए गये।

दिनांक 24.2.2008 को परिवाद संख्या 08/05/623 में आयोग के निर्देशानुसार महानिरीक्षक (पुलिस) श्री एन. मौरिस बाबू ने दिनांक 23.2.2008 को पुलिस थाना सांचोर, जिला बाडमेर, दिनांक 24.2.2008 को पुलिस थाना बालोतरा, जिला बाडमेर का निरीक्षण किया गया, जहां सम्बन्धित पुलिस अधिकारीगण को मानवाधिकार सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिए गये।

महानिरीक्षक (पुलिस) व उप सचिव ने दिनांक 17 से 19 मार्च 2008 तक वीमेन एण्ड चाईल्ड रिसोर्स सेन्टर, ए.सी.एम., राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के सौजन्य से आयोजित ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आब्जर्वर के रूप में व डा. दीपा, उप निरीक्षक ने ट्रेनर के रूप में भाग लिया।

मानवाधिकारों से सम्बन्धित विषय सामग्री का जनहित में प्रकाशन :–

आयोग द्वारा मानवाधिकार से सम्बन्धित विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम के तहत् प्रकाशित बुकलेट्स को निम्नांकित संस्थाओं/व्यक्तियों को पुनः जनहित में प्रकाशित करवाये जाने की इजाजत दी।

1– श्री विमल पण्डया

2– डा. मंजू, डॉ. महेश व दीपक (मनीष), माया इलेक्ट्रिकल्स, चांदपोल बाजार, जयपुर ने स्व0 श्री धर्मपाल जैन की पुण्य स्मृति में।

राजस्थान राज्य मानवाधिकर आयोग के सम्मुख दिनांक 31.12.2007 को 998 प्रकरण शेष थे । नये परिवाद 1047, जिनमें नये 738, पुराने व पुनः सुनवाई 417 आये। कुल 1307 परिवादों का निस्तारण करने के बाद आयोग के सम्मुख 890 प्रकरण दिनांक 31.03.2008 को शेष रहे।

अध्यक्ष- न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, **सदस्यगण-** जस्टिस जगत सिंह, श्री डी.एस. मीणा एवं श्री पुखराज सिरवी, **सचिव,** महानिरीक्षक पुलिस, राज्य मानव अधिकार आयोग, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।

सम्पादक : उप-सचिव, राजस्थान मानव अधिकार आयोग, जयपुर।

E-mail : rshrc@raj.nic.in **Website :** www.rshrc.nic.in **Fax :** 0141-2227738 **Tel. :** 2227565, 5104212.

Book Post